दिनांकः 21.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ वीडियो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्र एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.03.2025 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **रितिक पुत्र सुरेश नि0 ग्राम सूभरी थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को ग्राम खुडाना से सूभरी जाने वाली सडक से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रितिक द्वारा सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ एक वीडियो वायरल किया गया था। रितिक उपरोक्त के कब्जे से 01 तमन्चा 12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 63/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं लोगो को डराने धमकाने व गलत काम करने के लिये अपने पास तमन्चा रखता हूँ। लोगों में अपना रोब दिखाने के लिए मैने हाथ मे तमंचा लेकर अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। यह तमंचा मैने राह चलते एक व्यक्ति से खरीदा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रितिक पुत्र सुरेश नि0 ग्राम सूभरी थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमन्चा 12 बोर
- 01 जिंदा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 नीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 जोगेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 988 प्रदीप कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 162 राहुल कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 21.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाईकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व वाहन चोर/नकबजन/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.03.2025 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 02 शातिर वाहन चोर अभियुक्त **1.बिट्टू पुत्र जयपाल निवासी ग्राम सूभरी थाना नानौता सहारनपुर 2.नितेश पुत्र नौरतू निवासी ग्राम सूभरी थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को रेलवे स्टेशन के पास खाली खण्डहर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 62/25 धारा 336(2)/317(5)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों कम पढ़े लिखे है तथा नशा करने के आदी है अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए हम मोटरसाईकिल चोरी करते है तथा उनकों बेचकर मिले पैसों को हम अपने नशे और मौज मस्ती में खर्च कर देते है। हमसे जो मोटरसाईकिल मिली है वह हमने नानौता व आसपास के स्थानो से चोरी की थी। हम इन्हे किसी व्यक्ति को बैचने की फिराक मे खडे थे कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. बिट्टू पुत्र जयपाल नि0 ग्राम सूभरी थाना नानौता सहारनपुर।
2. नितेश पुत्र नौरतू निवासी ग्राम सूभरी थाना नानौता सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः -

- 01 मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्पैलण्डर प्रो (रंग काला रजि0 नं0 यू0पी 11 एम 2495)
- 01 मोटरसाईकिल हीरो होण्डा एमबीशन (रंग लाल रजि0 नं0 डीएल 8 एसएपी 1777)
- 01 मोटरसाईकिल स्पैलण्डर (रंग काला रजि0 नं0 यूपी 11 सीसी 0327)

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 62/25 धारा 336(2)/317(5)/317(2) बीएनएस थाना नानौता सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 288/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नानौता सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1\. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2\. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3\. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4\. है0का0 729 उपेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4\. है0का0 335 गौरव कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
5\. है0का0 459 मोहसीन थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
5\. का0 1459 विकास कुमार थाना नानौता सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 21.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 120 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त **हसीन पुत्र निसार निवासी मौहल्ला फैसल वाली मस्जिद खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर** को बाबा लालदास रोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 120 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 116/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अनपढ़ हूँ तथा नशा करने का आदी हूँ, यह चरस मैं जंगल में भांग रगड़ रहे अज्ञात व्यक्तियों से खरीदकर लाया था। इस चरस को कुछ तो मैं पी लेता हूँ और कुछ को बेच देता हूँ जिससे मेरा खर्च चल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हसीन पुत्र निसार निवासी मौहल्ला फैसल वाली मस्जिद खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 120 ग्राम चरस

गिरफ्तार अभियुक्त काआपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 290/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री नरेंद्र सोलंकी चौकी प्रभारी कटहरा प्रथम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
2. हे0का0 310 विपिन पँवार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
3. का0 1460 अंकित पँवार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
4. का0 2102 सुधीर कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

दिनांकः 21-03-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधडी के मुकदमें में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09.11.2024 को वादी हाजी अशरफ अली पुत्र मरहूम शाहदत अली निवासी मौहल्ला मुन्नीबान नखाशा बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 331/2024 धारा 318(4)/316(2)/338/336(3)/340(2)/61(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम मौ0 अकबर आदि 09 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, धोखाधडी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर धोखाधड़ी में वांछित **अभियुक्ता श्रीमती तबस्सुम परवीन पत्नी अहसान मलिक हाल निवासी तैय्यबा मस्जिद गली नं0 13 धोबीवाला मौहल्ला थाना मण्डी सहारनपुर मूल निवासी ग्राम देवला बेहट रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को धोबीवाला मौहल्ला से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्ता के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं तथा मेरे साथी मिलकर प्रोपर्टी डिलींग का काम करते है। हमने एक प्रोपर्टी अशरफ अली को देहरादून में 2550 वर्ग गज की दिखायी थी। जिसकी एक फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी महिला रितू मिस्ट्रीले के नाम से फर्जी कागजात तैयार कराकर अशरफ के लड़के इस्माइल के नाम कराई थी। उसके एवज में अशरफ अली से धोखाधडी कर हम लोगो ने अशरफ के कई प्लाट, जमीन व दुकान अपने तथा अपने साथियो के नाम करा लिये थे। मैने भी एक 100 वर्ग गज का प्लाट करीब 01 वर्ष पहले हाजी अशरफ से अपने नाम कराया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

तबस्सुम परवीन पत्नी अहसान मलिक हाल निवासी तैय्यबा मस्जिद गली नं0 13 धोबीवाला मौहल्ला थाना मण्डी सहारनपुर मूल निवासी ग्राम देवला बेहट रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एच0 सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. हैड का0 970 मोन्टी रानी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. म0का0 2131 अंजली तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक 21.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से हरियाणा से चोरी की गयी मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 20.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्त कुलदीप चौहान उर्फ मोनू पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम जसाला थाना कांधला जिला शामली** को दबनी कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल रजि0 नं0 HR 11 L 9471 बरामद हुई। अभियुक्त द्वारा बरामद मोटर साईकिल को **फर्जी रजि0 नं0 UP 11 BM 1490 की प्लेट** लगाकर चलाया जा रहा था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 78/2025 धारा 317(5)/336(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि इस मोटरसाईकिल को मैने लगभग 02 साल पहले पानीपत हरियाणा से चोरी किया था जिस पर मै फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चला रहा हूँ। इसके मेरे पास कोई कागजात नही है। आज मैं सहारनपुर में इस मो0सा0 को बेचने के लिए आया था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कुलदीप चौहान उर्फ मोनू पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम जसाला थाना कांधला जिला शामली।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 चोरी की मोटरसाइकिल रजि0 नं0 HR 11 L 9471
- 01 फर्जी नम्बर प्लेट नं0 UP 11 BM 1490

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 850/19 धारा 255/54/59 आर्म्स एक्ट थाना शहर पानीपत हरियाणा
2. मु0अ0सं0 712//19 धारा 379 आईपीसी थाना चांदनीबाग पानीपत हरियाणा
3. मु0अ0सं0 831/19 धारा 379 आईपीसी थाना शहर पानीपत हरियाणा
4. मु0अ0सं0 163/19 धारा 379 आईपीसी थाना शहर पानीपत हरियाणा
5. मु0अ0सं0 1598/19 धारा 379 आईपीसी थाना शहर पानीपत हरियाणा
6. मु0अ0सं0 478/19 धारा 379 आईपीसी थाना शहर पानीपत हरियाणा
7. मु0अ0सं0 821/18 धारा 379 आईपीसी थाना समालखा जिला पानीपत हरियाणा
8. मु0अ0सं0 385/19 धारा 379 आईपीसी थाना चांदनीबाग पानीपत हरियाणा
9. मु0अ0सं0 510/19 धारा 379 आईपीसी थाना चांदनीबाग पानीपत हरियाणा
10. मु0अ0सं0 426/19 धारा 379 आईपीसी थाना चांदनीबाग पानीपत हरियाणा
11. मु0अ0सं0 464/19 धारा 379 आईपीसी थाना चांदनीबाग पानीपत हरियाणा

12. मु0अ0सं0 676/19 धारा 379 आईपीसी थाना चांदनीबाग पानीपत हरियाणा
13. मु0अ0सं0 70/21 धारा 414 आईपीसी थाना कांधला जिला शामली
14. मु0अ0सं0 53/18 धारा 414 आईपीसी थाना गंगोह जिला सहारनपुर
15. मु0अ0सं0 78/25 धारा 317(5)/336(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 960 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 272 सन्दीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 2033 अजय कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः-21.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा **01 वारण्टी अभियुक्त महमूद पुत्र गफूर निवासी ग्राम ईस्माईलपुर थाना सरसावा सहारनपुर (**सम्बन्धित वाद संख्या 1320/25 अ0सं0 120/01 धारा 429,504,506 भादवि) को ग्राम ईस्माइलपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

महमूद पुत्र गफूर निवासी ग्राम ईस्माईलपुर थाना सरसावा सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।
2. का0 894 अंकित तोमर थाना सरसावा सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 21.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी-विशेष न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा गैर-इरादतन हत्या में दोषी पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है कि दिनांक 03.06.2022 को वादिया श्रीमती कमलेश पत्नी स्व0 ईसम सिंह निवासी ग्राम सतीवाला थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त शंकर पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम खानुआ थाना रूपवास जिला भरतपुर (राजस्थान) के द्वारा वादिया के पती ईसम सिंह जाति हरिजन को लाठी व डन्डों से मारपीट कर घायल कर देना तथा अस्पताल पहुँचने पर मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0-232/22 धारा 304 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-1878/22 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससीएसटी-विशेष न्यायालय जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी-विशेष न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 21.03.2025 को **अभियुक्त शंकर पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम खानुआ थाना रूपवास जिला भरतपुर (राजस्थान) को थाना सरसावा पर पंजीकृत मु0अ0स0-232/22 धारा 304भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्रीमती अलहिना
विवेचक- क्षेत्राधिकारी श्री अरविन्द सिंह पुण्डीर
पैरोकार है0का0- 439 गौरव कुमार थाना सरसावा

-प्रेस नोट-

दिनांकः 21.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 01 लाख 40 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है कि दिनांक 26.11.2013 को वादी श्री आदिल पुत्र शकील निवासी शेखपुरा कदीम जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगणों 1.माजु उर्फ शाहनवाज पुत्र फैजान नि0 ग्राम शैखपुरा कदीम थाना को0 देहात 2. राजेन्द्र पुत्र गुरूचरण नि0 सरदारों का डेरा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर 3.रहमानी पुत्र गुफरान नि0 शेखपुरा कदीम थाना को0 देहात के द्वारा वादी के भाई आमिल उम्र 18 वर्ष की षडयंत्र रचकर हत्या करके शव को जंगल में छुपा दिया है जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0-638/13 धारा 302,201,120 बी भादवि पंजीकृत कराया गया।उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-373/14 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 21.03.2025 को **अभियुक्तगण 1.माजु उर्फ शाहनवाज पुत्र फैजान 2. राजेन्द्र पुत्र गुरूचरण को थाना सदर बाजार पर पंजीकृत मु0अ0स0-638/13 धारा 302,201,120 बी भादवि का दोषी पाते हुए अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 01 लाख 40 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

नोटः- अभियुक्त रहमानी पुत्र गुफरान नि0 शेखपुरा कदीम थाना को0 देहात को दोषमुक्त किया गया

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक- रिटायर क्षेत्राधिकारी श्री अजय कुमार चैहान
पैरोकार का0- 929 अंकित तोमर थाना सदर बाजार

दिनांकः 21.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है कि दिनांक 26.07.2018 को वादी द्वारा थाना गागलहेडी पर एक लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त विशाल कुमार पुत्र राजू उर्फ राजकुमार निवासी ग्राम हसनपुर भलस्वा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेडछाड कर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0स0-283/18 धारा 354,323,506 भादवि पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-42/19 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 21.03.2025 को **अभियुक्त विशाल कुमार पुत्र राजू उर्फ राजकुमार को मु0अ0स0-283/18 धारा 354,323,506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री विवेक कौशिक
विवेचक उप निरिक्षक श्री इन्द्रसैन
पैरोकार का0-1360 रजनीश थाना गागलहेडी